

# उत्तराखण्ड परा-चिकित्सा परिषद

कार्यालय-म0सं0-01, लेन नं0-08, पुष्प कुंज कॉलोनी, मोथरावाला रोड़, देहरादून-248121

फोन सं0 0135-2975030

uttarakhandparamedicalcouncil3@gmail.com

दिनांक 24 अप्रैल, 2025

पत्रांक-र-20/उ0परा0चि0प0/124/2022/19191-

सेवा में

प्राचार्य/प्रधानाचार्य,

श्रीमती मंजीरा देवी नर्सिंग एण्ड पैरामेडिकल कॉलेज (श्री मंजीरा देवी शिक्षण संस्थान एवं प्रशिक्षण समिति),

रुक्मणीनगर, हिटानु, धनौरी उत्तरकाशी।

**विषय-** उत्तराखण्ड राज्य में परा-चिकित्सकीय संस्थानों/विश्वविद्यालयों में परा-चिकित्सकीय पाठ्यक्रम संचालित करने हेतु मान्यता प्रदान किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक उत्तराखण्ड परा-चिकित्सा परिषद अधिनियम, 2009 की धारा 20 एवं उत्तराखण्ड परा-चिकित्सा परिषद विनियम, 2014 के विनियम 17 भाग-ग के उपविनियम 06 पैरा 08 (आठ) के कम में उत्तराखण्ड राज्य में संचालित निजी/सरकारी पैरा-मेडिकल विश्वविद्यालय/संस्थान में परा-चिकित्सकीय पाठ्यक्रमों के संचालन हेतु उत्तराखण्ड परा-चिकित्सा परिषद कार्यालय के पत्रांक-र-20/उ0परा0चि0प0/130/2022/19505 दिनांक 12 दिसम्बर, 2024 के कम में दिनांक 13.12.2024 को संस्थान का निरीक्षण दल द्वारा स्थलीय/भौतिक निरीक्षण किया गया।

2- चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा उत्तराखण्ड शासन, के शासनादेश संख्या-119180/2023 दिनांक-03 मई, 2023 व शासनादेश संख्या-450/XXVIII-6/73791/2024 दिनांक-28 नवम्बर, 2024 द्वारा संस्थान को निम्नलिखित परा-चिकित्सकीय पाठ्यक्रमों के संचालनार्थ अनापत्ति/अनुमति प्रदान की गई है:-

| क्र.सं.<br>0 | संस्थान का नाम  | स्वीकृत पाठ्यक्रम                | पूर्व से स्वीकृत<br>सीटों की संख्या | शैक्षिक सत्र<br>2024-25 हेतु<br>सीट वृद्धि | कुल सीटों<br>की संख्या |
|--------------|---|----------------------------------|-------------------------------------|--|------------------------|
| 01           | श्रीमती मंजीरा देवी नर्सिंग<br>एण्ड पैरामेडिकल कॉलेज<br>(श्री मंजीरा देवी शिक्षण<br>संस्थान एवं प्रशिक्षण<br>समिति), रुक्मणीनगर,<br>हिटानु, धनौरी<br>उत्तरकाशी। | बी0एम0एल0टी0                     | 30                                  | -  | 30                     |
|              |   | बी0पी0टी0 (नवीन पाठ्यक्रम)       | -                                   | 30   | 30                     |
|              |   | बी0एम0आर0आई0टी0 (नवीन पाठ्यक्रम) | -                                   | 30   | 30                     |
|              |   | बी0एस0सी0आप्टो (नवीन पाठ्यक्रम)  | -                                   | 30   | 30                     |

3- उपरोक्तानुसार संस्थान द्वारा उक्त 04 पाठ्यक्रमों के वर्ष 2024-25 में संचालनार्थ मान्यता हेतु परिषद कार्यालय में किये गये आवेदन के कम में इस हेतु निरीक्षण दल द्वारा उपलब्ध कराये गये समस्त दस्तावेज, शपथ पत्र एवं दी गई संस्तुति के आधार पर संस्थान को शैक्षणिक सत्र 2024-25 हेतु उक्त परा-चिकित्सकीय पाठ्यक्रमों के संचालन हेतु अस्थायी मान्यता प्रदान की जाती है।

4- आपके द्वारा उपलब्ध कराये गये दस्तावेजों के आधार पर भविष्य में कोई प्रतिकूल तथ्य संज्ञान में आता है तो संस्थान का स्थलीय औद्योगिक निरीक्षण किया जाएगा। उक्त दस्तावेजों के अनुसार व्यवस्थायें पूर्ण नहीं पायी जाती है तो इस सम्बन्ध में नियमानुसार यथाचित कार्यवाही की जाएगी।

भवदीय



सचिव/रजिस्ट्रार

उत्तराखण्ड परा-चिकित्सा परिषद।